भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +706

सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कर्नाटक में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र की स्थापना

+706. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन करने वाली कंपनियां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफईआई) के माध्यम से कर्नाटक में पर्यटन में निवेश करना चाहती हैं और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का पर्यटन में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पर्यटन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का कर्नाटक के कोप्पल में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं । लागू विनियमों एवं कानूनों के अध्यधीन भारत में पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है । होटलों, रिजॉर्ट्स तथा मनोरंजनात्मक सुविधाओं के विकास सहित पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति है । तथापि पर्यटन मंत्रालय, भारत में पर्यटन क्षेत्र में एफडीआई से संबंधित डाटा का संग्रहण नहीं करता है ।

(ख) और (ग) : पर्यटन केंद्रों की स्थापना सहित पर्यटन का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है । तथापि पर्यटन मंत्रालय कर्नाटक सहित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा संपूर्ण परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन' तथा 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन' योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है और यह एक सतत प्रक्रिया है । इन परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है । ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

*****